



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/सं.अ.सं./2019/352

दिनांक : 8/08/2019

शुद्धि पत्र

विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 3.8.2019 में बी.कॉम (कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन) के लिए आवश्यक अर्हता में "कॉमर्स विषय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण" के स्थान पर "किसी भी विषय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तीन वर्षीय पॉलीटेक्निक डिप्लोमा" पढ़ा जाए। तदानुसार समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाएँ अपने नोटिस बोर्ड पर यह सूचना प्रदर्शित करें।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
कुलसचिव